DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, CHHATTISGARH
संचालनालय तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़
Government Girl's Polytechnic Campus, Byron Bazaar, Raipur - 492001
शासकीय कन्या पॉलीटेकनिक परिसर, बैरन बाजार, रायपुर - 492001
Phone : 0771- 2331330, 2421376, Fax : 2331331, Website : http://www.cgdteraipur.ac.in

:: प्रवेश सूचना ::

:: सत्र 2011–12 में राज्य के विभिन्न इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, फार्मेसी संस्थानों, एम.सी.ए. संस्थानों एवं पॉलीटेकनिक संस्थानों में प्रवेश के इच्छुक छात्रों के लिये आवश्यक सूचना ::

Information for Admission in B.E./B.Ph./D.Ph./MCA/Diploma (Polytechnic) Session 2011-12

सत्र 2011–12 में राज्य के विभिन्न शासकीय/स्वशासी–स्ववित्तीय/निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में संचालित बी.ई. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश पी.ई.टी. के आधार पर, फार्मेसी संस्थाओं में संचालित बी.फार्मेसी एवं डी. फार्मेसी के प्रथम वर्ष में प्रवेश पी.पी.एच.टी. के आधार पर, एम.सी.ए. संस्थाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश प्री–एम.सी.ए. टेस्ट के आधार पर तथा शासकीय/निजी पॉलीटेक्निकों में संचालित डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश पी.पी.टी. के मेरिट के आधार पर होंगे । छत्तीसगढ़ के मुल निवासियों को बी.ई. में प्रवेश के लिए पी.ई.टी. में, बी.फार्मेसी एवं डी. फार्मेसी में प्रवेश के लिए पी.पी.एच.टी. में ,एम.सी.ए. में प्रवेश के लिए प्री–एम.सी.ए. में तथा डिप्लोमा इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए पी.पी.टी. में तथा बी.ई. बायोटेक्नालाजी में प्रवेश के लिए पी.ई.टी/पी.पी.एच.टी में सम्मिलित होना अनिवार्य है तथा न्यूनतम निर्धारित प्राप्तांक पाना अनिवार्य है। संपूर्ण नियम व्यापम द्वारा प्रकाशित/विक्रय किये जाने वाले परीक्षा/प्रवेश निर्देशिका में दिया गया है।

विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु शैक्षणिक अर्हता निम्नानुसार है :–

पाठ्यक्रम का नाम/ प्रवेश परीक्षा का नाम	शैक्षणिक अर्हता	अधिकतम आयु सीमा	निवासी संबंधी आवश्यकता
बी.ई. पाठ्यक्रम पी.ई.टी. परीक्षा के विषय P/C/M	अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अनिवार्य विषयों के रूप में भौतिकी एवं गणित तथा रसायन विज्ञान/जैवप्रौद्योगिकी/जीवविज्ञान में से किसी एक विषय के साथ 12वीं कक्षा की परीक्षा सामान्य श्रेणी के लिये 50% P/C/M में तथा आरक्षित श्रेणी के लिये 45%P/C/M में के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ।	25 वर्ष । छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/विकलांग विद्यार्थियों/ महिला आवेदकों के लिये आयु सीमा में अधिकतम 03 वर्ष की छूट ।	केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी
बी.फार्मेसी एवं डी. फार्मेसी पाठ्यक्रम पी.पी.एच.टी. परीक्षा विषय :P/C/M/B	अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अनिवार्य विषयों के रूप में भौतिकी एवं गणित तथा रसायन विज्ञान/जैवप्रौद्योगिकी/जीवविज्ञान में से किसी एक विषय के साथ 12वीं कक्षा की परीक्षा सामान्य श्रेणी के लिये 50% P/C/M/B में तथा आरक्षित श्रेणी के लिये 45%P/C/M/B में के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ।	बी.फार्मेसी हेतु –25 वर्ष छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग / विकलांग विद्यार्थियों/ महिला आवेदकों के लिये आयु सीमा में अधिकतम 03 वर्ष की छूट ।डी. फार्मेसी हेतु आयु सीमा का बंधन नहीं है ।	छत्तीसगढ़ के मूल निवासी एवं अन्य राज्य के निवासी अभ्यर्थी
बी.ई. पाठ्यक्रम (बायोटेक्नालॉजी) पी.ई.टी. अथवा पी.पी.एच.टी. परीक्षा	अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अनिवार्य विषयों के रूप में भौतिकी एवं गणित तथा रसायन विज्ञान/जैवप्रौद्योगिकी/जीवविज्ञान में से किसी एक विषय के साथ 12वीं कक्षा	25 वर्ष । छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/विकलांग विद्यार्थियों/ महिला आवेदकों के लिये आयु	छत्तीसगढ़ के मूल निवासी एवं अन्य राज्य के निवासी अभ्यर्थी

	की परीक्षा सामान्य श्रेणी के लिये 50% P/C/M में तथा आरक्षित श्रेणी के लिये 45%P/C/M में के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ।	सीमा में अधिकतम 03 वर्ष की छूट ।	

पाठ्यक्रम का नाम/ प्रवेश परीक्षा का नाम	शैक्षणिक अर्हता	अधिकतम आयु सीमा	निवासी संबंधी आवश्यकता
एम.सी.ए. पाठ्यक्रम प्री–एम.सी.ए. परीक्षा	अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी संकाय में 03 वर्षीय स्नातक उपाधि उत्तीर्ण होना आवश्यक है । स्नातक स्तर पर अथवा 12वीं स्तर पर एक विषय गणित के रूप में होना अनिवार्य है । गणित से संबंधित गणित के अन्य विषय जैसे, बिजनेस गणित, बेसिक गणित आदि मान्य नहीं किये जायेंगे । तथापि गणित के उच्च विषय जैसे, उच्च गणित मान्य किये जायेंगे । जो अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.सी.ए. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर चुके हैं उनके लिये गणित विषय की अनिवार्यता से छूट है ।	27 वर्ष । छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/विकलांग विद्यार्थियों/ महिला आवेदकों के लिये आयु सीमा में अधिकतम तीन वर्ष की छूट रहेगी ।	छत्तीसगढ़ के मूल निवासी एवं अन्य राज्य के निवासी अभ्यर्थी
डिप्लोमा इंजीनियरिंग (पॉलीटेकनिक) पी.पी.टी. परीक्षा विषय : विज्ञान एवं गणित	अभ्यर्थी को 10वीं कक्षा की परीक्षा (हाई स्कूल परीक्षा) गणित एवं विज्ञान विषय के साथ 50% (सामान्य श्रेणी के लिये) 45% (आरक्षित श्रेणी के लिये) के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ।	25 वर्ष । छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/विकलांग विद्यार्थियों/ महिला आवेदकों के लिये आयु सीमा में अधिकतम 03 वर्ष की छूट	छत्तीसगढ़ के मूल निवासी एवं अन्य राज्य के निवासी अभ्यर्थी

विस्तृत शैक्षणिक अर्हता नियम पुस्तिका में दिया गया है । अर्हकारी 10वीं/12वीं / स्नातक की परीक्षा में 2011में सम्मिलित अभ्यर्थी भी प्रवेश परीक्षा दे सकते हैं । परंतु दस्तावेज परीक्षण /प्रवेश के समय अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ।

बी.ई. (बायोटेक्नालॉजी) की 2/3 सीट को पी.ई.टी. के माध्यम से तथा 1/3 सीट पी.पी.एच.टी. के माध्यम से भरी जावेगी । अतः जो छात्र 12वीं में गणित विषय न लेकर बायोलॉजी विषय लिये हैं, वे यदि बी.ई. (बायोटेक्नालॉजी) पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक हैं तो उन्हें पी.पी.एच.टी. में सम्मिलित होना अनिवार्य है ।

प्रवेश परीक्षा पी.ई.टी./पी.पी.एच.टी./प्री–एम.सी.ए./पी.पी.टी. आयोजित करने हेतु छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम), रायपुर को अधिकृत किया गया है । इन पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक छात्र व्यापम द्वारा आयोजित पी.ई.टी./पी.पी.एच.टी./प्री–एम.सी.ए./पी.पी.टी. में अनिवार्य रूप से सम्मिलित होवें (बिना प्रवेश परीक्षा के केवल 10वीं/12वीं/ स्नातक परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर प्रवेश की पात्रता नहीं होगी)।

व्यापम द्वारा इन परीक्षाओं हेतु नियम पुस्तिका सह आवेदन पत्र की ब्रिकी प्रारंभ की जा रही है । आवेदन पत्र प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों के प्रधान/मुख्य डाक घरों से दिनांक 25 मार्च 2011 से 13 अप्रैल 2011 तक पी.ई.टी./पी.पी.एच.टी./प्री–एम.सी.एके लिए दिनांक 30 मार्च 2011 से 20 अप्रैल 2011 तक पी.पी.टी. के लिए नगद भुगतान कर प्राप्त की जा सकती है । पी.ई.टी./पी.पी.एच.टी./ प्री–एम.सी.ए. के लिये नियम पुस्तिका का मूल्य सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये रु. 550/– तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिये रु. 350/– है । पी.पी.टी. के लिये नियम पुस्तिका का मूल्य सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये रु. 350/– तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिये रु. 200/– है ।

भरा हुआ आवेदन पत्र डाकघर में जमा करने की अंतिम तिथि पी.ई.टी./पी.पी.एच.टी./प्री–एम.सी.ए के लिए 15 अप्रैल 2011 तथा पी.पी.टी. के लिये 21 अप्रैल 2011 है । पूरी जानकारी व्यापम से प्राप्त की जा सकती है।

चूंकि बी.ई. हेतु निजी संस्था के अन्य राज्य कोटे में प्रवेश पी.ई.टी. के आधार पर नहीं बल्कि एआईईईई (सी.बी.एस.ई., नई दिल्ली द्वारा आयोजित) के आधार पर होंगे । अतः पी.ई.टी. परीक्षा केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिये ही है । तथापि अन्य राज्य के अभ्यर्थी यदि किसी संस्था के मेनेजमेंट कोटा में प्रवेश चाहते हों तो वे भी पी.ई.टी. दे सकते हैं । फार्मेसी संस्थानों/ एम.सी.ए. संस्थानों/ पॉलीटेकनिक संस्थानों में प्रवेश क्रमशः पी.पी.एच.टी./प्री–एम.सी.ए./पी.पी.टी. के आधार पर ही होगें । इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये कोई अन्य प्रवेश परीक्षा निर्धारित नहीं की गई है । अतः इन संस्थाओं में प्रवेश के इच्छुक अन्य राज्य के अभ्यर्थी को भी पी.पी.एच.टी./प्री–एम.सी.ए./पी.पी.टी. में सम्मिलित होना अनिवार्य है ।

इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक स्थानीय आवेदकों/आरक्षित वर्ग के आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे निम्न प्रमाण पत्रों को पहले से बनवाकर कर रख लें ।

1. स्थानीय मूल निवासी प्रमाण पत्र
2. स्थायी जाति प्रमाण पत्र (अस्थायी मान्य नहीं है)
3. आदिम जाति अनुसंधान परिषद्, रायपुर से जाति सत्यापन प्रमाण पत्र
4. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF), सैनिक (Sainik) वर्ग में होने संबंधी सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र
5. विकलांग का प्रमाण पत्र (1) जिला मेडिकल बोर्ड से (2) अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, निःशक्तजन हेतु संचालित व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाउन, जबलपुर से ।

इन प्रमाण पत्रों को बनवाने में समय लगता है । इन प्रमाण पत्रों की आवश्यकता आवेदन फार्म भरते समय नहीं होती है, इसकी आवश्यकता काउंसिलिंग(दस्तावेज परीक्षण) /प्रवेश के समय होती है ।

साथ ही आवेदकों को यह भी सलाह दिया जाता है कि वे प्रवेश नियम/निर्देशिका पुस्तिका को ठीक से अध्ययन कर लेवें ।

पॉलीटेक्निक संस्थाओं में संचालित एम.ओ.एम./सी.डी.डी.एम./आई.डी.डी./आर्किटेक्चर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये अलग से समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित की जायेगी ।

आयुक्त सह संचालक
तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़
रायपुर